प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 467/2023

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बादो पुत्री सुखा पत्नी रामलाल उर्फ रामदयाल जाति जाट निवासी ढाण्ड तहसील फतेहबाद हाल–ढ़ीलकी जाटान तहसील नोहर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **असल प्रतिवादीगण**

3. बंशीलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।
5. विनोद कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।
6. भूराराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।
7. ओम प्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 15.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/42 के कुल खसरे 105 का कुल क्षेत्रफल 23.2760 है0 भूमि में से 25/184 हिस्सा व 601/116380 हिस्सा भूमि व 11 जीजीमएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 48/49 के कुल खसरे 29 का कुल क्षेत्रफल 7.3370 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि असल प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वादी जो कि असल प्रतिवादीया संख्या 1 का पुत्र है जो कि अपने नाना सुखराम के खोले चला गया लेकिन वादी को अपने पिता की सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं मिला है। असल प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वयोवृद्ध महिला है तथा उक्त भूमि में कोई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:40 IST
Reason: SelfAttested

हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने मुताबिक पारिवारिक समझोता दिनांक 09.06.2023 को वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पक्ष में ब0 हि0 ब0 हक त्याग कर दिया है इस प्रकार असल प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त दोनो खातो की भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीया स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद असल प्रतिवादीया सं0 1 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण स0 3 ता 7 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 ता 7 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 व 3 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/42 के कुल खसरे 105 का कुल क्षेत्रफल 23.2760 है0 भूमि में से 25/184 हिस्सा व 601/116380 हिस्सा भूमि व 11 जीजीमएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 48/49 के कुल खसरे 29 का कुल क्षेत्रफल 7.3370 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि असल प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण स0 1 व 3 ता 7 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 व 3 ता 7 को कोई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/42 की कुल 23.2760 है0 भूमि में से 25/184 हिस्सा व 601/116380 हिस्सा भूमि व 11 जीजीमएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 48/49 के की कुल 7.3370 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में असल प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– बडबिराना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 467/2023
अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. बादो पुत्री सुखा पत्नी रामलाल उर्फ रामदयाल जाति जाट निवासी ढाण्ड तहसील फतेहबाद हाल–ढ़ीलकी जाटान तहसील नोहर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **असल प्रतिवादीगण**

3. बंशीलाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।
5. विनोद कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।
6. भूराराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।
7. ओम प्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ढ़िलकी जाटान तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 467 सन 2023 निर्णय दिनांक 15.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 42/42 की कुल 23.2760 है0 भूमि में से 25/184 हिस्सा व 601/116380 हिस्सा भूमि व 11 जीजीमएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 48/49 के की कुल 7.3370 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में असल प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:55:40 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बडबिराना